न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 327/2007 (2007/00068)

1. ठाकुर नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोहडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

———वादी

♠ बनाम ♠

1. बृजराज सिंह पुत्र स्व श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोहडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. शिवराज कुमारी उर्फ शिवकंवर पुत्री स्व श्री रघुवीर सिंह पत्नि री भवानी सिंह राजपूत निवासी पुग्गलगढ जिला बीकानेर
3. प्रवीण कुमारी पुत्री स्व श्री रघुवीर सिंह पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा

——— प्रतिवादीगण

4. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व श्री रघुवीर सिंह निवासी ग्राम कोहडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

5. राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जिला अजमेर
6. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 92ए एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

—:: निर्णय ::—

दिनांक 12.04.2023

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम कोहडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

पुराने ख.नं.	रकबा बीघा बिस्वा	मिन साबिक ख.नं.	रकबा हैक्टर में	वर्तमान ख.नं.	रकबा हैक्टर में
774	05.00.00	775 मिन	4.81	1485	4.81
775	91.12.10	775 मिन	10.02	1486	10.02
753	33.11.10	774 मिन	0.59	1487	0.59
		774 मिन	0.21	1488	0.21
		753 मिन	0.91	1489	0.91
		753 मिन	0.33	1543	0.33
		753 मिन	4.18	1544	4.18

उपरोक्त वर्णित आराजीयात जिनके पुराने खसरा नम्बर 774, 775, 753 कुल रकबा 130 बीघा 4 बिस्वा है, वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 की माताजी स्वर्गीय श्रीमति ठकुरानी जी नरूकी जी, श्रीमति रघुनाथ कुमारी जी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात थी एवं राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2041 में उनके नाम बहेसियत खातेदार कृषक काबिज है। आराजीयात का राजस्व उन्ही के द्वारा अदा किया जाता था एवं वे अपने साधनों से काश्त करवाती थी। वादी की

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

माताजी श्रीमति ठुकरानी जी नरूकी जी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 04.05.2003 को एक वसीयतनामा तहरीर कर वादपत्र के पेरा नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात पुराने खसरा नम्बर 774 व 775 वादी के हक में वसीयत कर दी तथा खसरा नम्बर 753 प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 4 श्री राजेन्द्र सिंह के हक में पारिवारिक सम्पत्ति समझोते के अनुरूप वसीयत कर दी जो उसके कब्जे काश्त में चली आ रही है। माताजी द्वारा किया गया वसीयतनामा दिनांक 04.05.2003 उनकी अन्तिम वसीयत है। वादी की माताजी का स्वर्गवास दिनांक 05.06.2003 को ग्राम कोहडा में हो गया तथा उनकी अन्तिम वसीयत के अनुसार वादी निम्न वर्णित आराजीयात पर बहेसियत खातेदार कृषक काबिज चला आ रहा है व आराजीयात स्वयं के द्वारा काश्त करता व करवाता आ रहा हे।

पुराने ख.नं.	रकबा बीघा बिस्वा	मिन साबिक ख.नं.	रकबा हैक्टर में	वर्तमान ख.नं.	रकवा हैक्टर में
774	05.00.00	775 मिन	4.81	1485	4.81
775	91.12.10	775 मिन	10.02	1486	10.02
		774 मिन	0.59	1487	0.59
		774 मिन	0.21	1488	0.21

माताजी श्रीमति ठकुरानी जी नरूका जी का स्वर्गवास होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ने चुपचाप तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मोलकिया से मिलकर स्वर्गीय माताजी श्रीमति ठकुरानी जी नरूकी जी द्वारा की गई अन्तिम वसीयत तथा उनके द्वारा मान्य पारिवारिक समझोते की अनदेखी करते हुए वादी के हितों पर कुठाराघात करने की नियत से वादपत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का विरासत का नामान्तकरण करवा लिया। इन आराजीयात के नामान्तकरण किये जाने की कार्यवाही बाबत ग्राम पंचायत अथवा किसी भी राजस्व अधिकारी ने कोई सूचना, नोटिस इत्यादि नही दिये और न कोई सुनवाई की गई। बदनीयती से की गई उक्त नामान्तकरण कार्यवाही सर्वथा अवैध व प्रभावहीन है तथा तहसीलदार या अन्य किसी सक्षम अधिकारी का आदेश भी नही है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा वादी की उपरोक्त वर्णित कब्जे व काश्त की आराजीयात में माह अक्टूंबर 2007 तक कोई बाधा या रूकावट नही डाली व वादी का कब्जा व काश्त लगातार चला आ रहा है परन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादी के कब्जे काश्त में बाधा डालने व खेतों की फसल काटने की नियत से खुल आम कहना शुरू कर दिया कि उनके नाम जमाबन्दी में इन्द्राज होने से वे उपरोक्त खेतों पर व फसल पर कब्जा करेंगे तथा वादी को खेतों पर नही आने देंगे, जमीन का नामान्तकरण भी उनके नाम हो गया है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादी द्वारा अपने स्वयं के साधनों से व खर्चे से उड़द, मूंग, ज्वार की फसल बो रखही है तथा फसल तैयार होने वाली है जिसे प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 काटने व फसल को नष्ट करने व खेतों पर जबरदस्ती कब्जा करने की नियत रखते है जिससे यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः वादपत्र के पेरा संख्या 3 व 4 में वर्णित आराजीयात स्थित ग्राम कोहडा तहसील केकड़ी का वादी एकमात्र खातेदार कृषक है एवं राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का नाम विलोपित किया जाकर वादी का नाम बहेसियत खातेदार कृषक दर्ज किये जाने, वादी के कब्जे काश्त में बाधान नही डालने, खेतों पर नही जाने, किसी प्रकार के कोई खड्डे इत्यादि नही करने, प्राकृतिक उपज व फराल को नष्ट नही करने, आराजीयात को किसी प्रकार से विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस इत्यादि नही करने हेतु प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण 2 व 4 जिनकी की ओर से आदेशिका दिनांक 05.06.

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

2008 में अंडरटेकिंग ली गई थी, लेकिन कई पेशियों के बाद भी अभिभाषक पत्र पेश नही होने से दिनांक 10.10.2016 को प्रतिवादी नम्बर 2 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादपत्र का जवाब दावा प्रतिवादी बृजराज सिंह व प्रतिवादी प्रवीण कुमारी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के द्वारा काउन्टर क्लेम दिनांक 05.06.2008 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से पर निषेधाज्ञा की मांग की।

उक्त प्रकरण में निम्न अनुसार तनकीयात 15.11.2019 को कायम की गई–

तनकी नम्बर 1 – आया वादवर्णित आराजीयात का खातेदारी अधिकार वसीयतनामा दिनांक 04.05.2003 के आधार पर स्वयं के नाम तथा प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के नाम घोषित करवाने का हक अधिकार रखते है। व जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम विलोपित करवाने का हक रखते है।

तनकी नम्बर 2 – आया वादी वादवर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्वयं एवं उत्तराधिकारीगण सीरी इत्यादि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का हक रखते है।

तनकी नम्बर 3 – आया वादवर्णित आराजीयात का विधिवत रूप से वारिसान के नाम नामान्तकरण खोला जाकर वादी सहित प्रतिवादीगण के नाम हो चुकी है जिसे खारिज करवाने हेतु वादी ने अपील नही की है। कथित वसीयत दिनांक 04.05.2003 फर्जी है। अनरजिस्टर्ड, अनस्टेप्ड है तथा ना ही वसीयत का प्रोबेट लिया गया है। अतः इस वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु किया गया वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

तनकी नम्बर 4 – आया वादी का वाद चलने योग्य नही है तथा वादी कथित फर्जी वसीयत के आधार पर प्रतिवादीगण जो रिकॉर्डेड खातेदार है को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का हक अधिकार नही रखता है।

उक्त वाद दिनांक 27.09.2007 को प्रस्तुत किया गया था। वादीगण को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। उक्त पत्रावली दिनांक 20.01.2020 को साक्ष्य वादी में नियत की गई। कई पेशियों के उपरान्त दिनांक 20.07.2022 को 200/– रूपये कोस्ट पर व दिनांक 25.08.2022 को 300/– रूपये कोस्ट पर अंतिम अवसर साक्ष्यवादी हेतु दिया गया। इसके उपरान्त भी वादी द्वारा ना तो साक्ष्य दी गई और ना ही अधिरोपित कोस्ट अदा की गई। दिनांक 21.09.2022 को प्रतिवादी के वकील ने कोस्ट अदायगी हेतु व साक्ष्य बंद करने हेतु निवेदन किया। दोनो पक्षों को सुना गया। ऐसी सूरत में दिनांक 21.09.2022 को साक्ष्य वादी बंद की गई। दिनांक 22.10.2022 को उक्त वाद साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया गया। आगामी पेशी 07.12.2022 साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दी गई, लेकिन दिनांक 07.12.2022 को प्रतिवादी ने शहादत पेश नही करने हेतु निवेदन किया। अतः प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की गई तथा पेशी 06.01.2023 बहस हेतु नियत की गई।

उक्त वाद में किसी भी पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य नही दी गई और ना ही किसी दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्श करवाया गया। और ना साक्ष्य में शुमार करवाया गया। पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विधि का सिद्धान्त है कि मात्र अभिवचनों के आधार पर बिना सबूत कराये कोई भी वाद स्वीकार योग्य नही है। वादीगण ने अपने भार की तनकी नम्बर 1 व 2 को ना तो साबित किया है

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

और ना ही इस हेतु किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत किये है। प्रतिवादी ने भी अपने भार की तनकियों को साबित नही किया है, ना ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किये है और ना ही अपने काउन्टर क्लेम को साबित करने में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये है। प्रकरण करीब 16 वर्ष से लम्बित है। वादी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी वादी ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की। यहां तक कि अपने मुख्य परीक्षण के शपथपत्र भी प्रस्तुत नही किये। वादी का कृत्य पूर्णतया उदासीन व उपेक्षापूर्वक रहा है। मात्र वाद दायर करने से कुछ नही होता है जब तक कि सक्षम साक्ष्य द्वारा वाद को साबित नही किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। ऐसी सरत में जब दोनो ही पक्षों की किसी भी सूरत में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है तो उक्त वाद ना तो साबित किया गया है और ना ही स्वीकार योग्य है। मामले में साक्ष्य के अभाव में वादी किसी भी प्रकार का प्रतिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः उक्त वाद अदम सबूत में खारिज कर अस्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with OKEN Scanner